क्रम संख्या–193 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0एन0/30/2013-15

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 364/XXXVI(3)/2016/09(1)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016" पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 31, वर्ष 2016 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 3[illegible], वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का प्रतिस्थापन 2. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

(1) प्रत्येक समिति सदस्यों की ऐसी संख्या से गठित होगी जैसी विहित की जाए:

परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या बीस से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पाँच से अन्यून सदस्य जिला पंचायत और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किए जायेंगे।

(3) जहाँ जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगर पालिका समाविष्ट हो, वहाँ ऐसी नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति के सदस्यों की संख्या, जो ऐसी नगरपालिकाओं में ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, वितरित किया जायेगा।

(4) समिति के शेष अधिकतम एक बटा पाँच सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक मंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत समिति का पदेन उपाध्यक्ष होगा;

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जिनकी संख्या इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पाँच भाग से अधिक न होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) उपधारा (4) खण्ड (ग) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(6) समिति का कोई सदस्य, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट नहीं करेगा।

(7) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थिति नगरपालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(8) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्ति को उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति से उसके शेष पदावधि के लिए भरा जायेगा।

धारा 6 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के पश्चात् नई उपधारा (3), एवं (4) जोड़ दी जायेगी तथा पूर्व में विद्यमान उपधारा (3), (4) एवं (5), उपधारा (5), (6) एवं (7) के रूप में पुनर्संख्यांकित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(3) विधान सभा के ऐसे सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा प्रभारी सचिव के रूप में विभिन्न जिलों में सह-प्रभारी नियुक्त होंगे, वह सम्बन्धित जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(4) अपने जिले की समिति की बैठकों में प्रथम वर्ष हेतु सम्बन्धित जिले के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की कुल संख्या के 1/2 प्रमुख एवं अवशेष प्रमुख अगले वर्ष की समिति की बैठकों में हिन्दी वर्णमाला के अनुसार रोस्टर तैयार कर चक्रानुक्रम आधार पर, स्थायी आमंत्रित होंगे।"

धारा 7 का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 7 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(1) जिला मजिस्ट्रेट समिति का सचिव होगा और वह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक विषयों की संसूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा, जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

No. 354/XXXVI(3)/2016/69(1)/2016
Dated Dehradun, November 30, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "**the Uttarakhand District Planning Committee (Amendment) Bill, 2016**" (Adhiniyam Sankhya 31 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 November, 2016.

THE UTTARAKHAND DISTRICT PLANNING COMMITTEE (AMENDMENT) ACT, 2016

(Uttarakhand Act no. 31 of 2016)

to further amendment of the Uttarakhand District Planning Committee Act, 2007.

An

Act

Be it enacted by the State Legislative Assembly in 67th year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand District Planning Committee (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be come into force at once.

Substitution of section 4 2. section 4 of the Uttarakhand District Planning Committee Act, 2007 (hereinafter referred to as Principle Act) shall be substituted as follows, namely-

"(1) Every Committee shall consist of such number of members as may be prescribed;

Provided that the number of members shall not be less than twenty and more than fourty.

(2) Not less than four-fifths of the total number of members of the Committee shall be elected in the prescribed manner by, and from amongst, the elected members of the Zila Panchayat and of the Municipalities in the district in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district.

(3) Where the urban area of the district comprises more than one Municipality, the number of members of the Committee from amongst the elected members of such Municipalities shall be distributed amongst such Municipalities in such manner as may be prescribed.

(4) The remaining one-fifth members of the Committee shall be-

(a) a Minister nominated by the State Government, who shall be the Chairperson of the Committee;

(b) the Adhyaksha of the Zila Panchayat, shall be ex-officio Vice-Chairman of the Committee;

(c) such other members as may be nominated by the State Government subject to the condition that the number of members under this sub-section shall not exceed one-fifth of the total members of the committee.

(5) A member nominated under clause (c) of sub-section (4) shall hold office during the pleasure of the Governor.

(6) No member of the Committee shall nominate any person as his representative to attend a meeting of the Committee on his behalf.

(7) An elected member of the Committee shall cease to be member thereof, if he ceases to be member of the Municipality or Zila Panchayat, as the case may be.

(8) If the office of an elected member of the Committee falls vacant owing to his death, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled for the residue of his term in the manner provided under sub-section (2)."

स्पष्टीकरण.— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "जिलाधिकारी" के अंतर्गत "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" भी सम्मिलित है।

(2) मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन संयुक्त सचिव होगा एवं जिले का अर्थ एवं संख्या अधिकारी, समिति की ऐसी रीति से, जैसा समिति द्वारा निदेशित किया जाए, समिति की सहायता करने के लिए पदेन उप सचिव होगा।"

धारा 9 का अंतःस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में खण्ड (ङ) के पश्चात् खण्ड (च) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) जिला योजना समिति, जिले के लिए योजनाओं की स्वीकृति/अनुमोदन केवल ऐसी रीति से करेगी, जैसे राज्य सरकार इस निमित्त नियमों के द्वारा निर्धारित करे।"

धारा 12 का प्रतिस्थापन

6. मूल अधिनियम की धारा 12 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

"12. समिति, जिले के ग्रामीण स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार करते हुए जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देगी। जिला योजना समिति की भूमिका परामर्शी एवं अनुशंसी होगी।"

धारा 15 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्बे,

प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करने और संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना तैयार करने तथा उससे संबंधित या आनुषांगिक विषयों हेतु उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा बार–बार यह अनुभव किया जा रहा है कि उक्त अधिनियम की कतिपय व्यवस्थाओं यथा उपाध्यक्ष का नामांकन तथा जिलों में नियुक्त प्रभारी मंत्रीगणों को उस जिले की योजना समिति से प्रतिभाग करने तथा अपने जिले की समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित जिले के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की कुल संख्या के 1/2 प्रमुख एवं अवशेष प्रमुख अगले वर्ष की समिति की बैठकों में, रोस्टर हिन्दी वर्णमाला के अनुसार तैयार कर चक्रानुक्रम आधार पर, स्थायी आमंत्रित होंगे" की व्यवस्था की जाय।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

प्रीतम सिंह
मंत्री

पी०एस०यू०आर० (आर०ई०) 35 विधायी/590–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

Substitution of sub-section (3) of section 6

3. After sub-section (2) of section 6 of the Principle Act, two new sub-section (3) and (4) shall be substituted and existing sub-sections (3),(4) and (5) shall be renumbered as sub-sections (5), (6) and (7) follows, namely-

"(3) Such members of the legislative Assembly who shall be appointed co-incharge in the different district as a Parliamentary Secretary, they shall permanent invites for the meetings of concerning district Committee."

"(4) ½ pramukh of total member of kshetra panchayat Pramukh of concerning district for first year of committee of his district and remaining Pramukh shall be permanent invitee on the basis of cycle order on the basis of Hindi Varnamala by roster in the meeting of committee of next year".

section 7 of the Principle Act, shall be substituted as follows, namely-

"(1) District Magistrate of the district shall be the Secretary of the Committee and shall be responsible for maintaining records of the Committee, preparing minutes of the Committee, and communication of decision and all others incidental or ancillary matters and shall make available to the Committee such assistance as may be necessary for the discharge of its functions.

Explanation- For the purpose of this sub-section the expression "District Magistrate" includes Chief Executive Officer.

(2) The Chief Development Officer shall be the ex-officio Joint Secretary and Economic and Statistics Officer of the District shall be the ex-officio Deputy Secretary of the Committee to assist in such manner as may be directed by the Committee."

Insertion of section 9

5. After Clause (p), a new Clause (q) of section 9 of the principle Act, shall be inserted as follows, namely-

"(4) The district Planning Committee shall sanction approval of plans for district, only such method as prescribed by rules for this purpose by the State Government.

Substitution of section 12 — 6. section 12 of the Principle Act, shall be substituted as follows, namely-

"12. The Committee shall be finalize of the draft of development plans for district with the consideration of presented plans by the rural local bodies, Panchayats and Urban Bodies of the district."

Substitution of sub-section (3) of section 15 — 7. sub-section (3) of section 15 of the principle Act, shall be substituted as follows, namely-

"(3). In the absence of the Chairperson, Vice-chairperson shall preside over the meeting of the Committee."

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE,
Principal Secretary.